

कर भिन्न राजस्व

कर भिन्न राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट 2021-2022	संशोधित 2021-2022	बजट 2022-2023
(₹ करोड़)					
<b>ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ</b>					
<b>1. ब्याज प्राप्तियां</b>					
1.01. राज्य	0049	6294.94	3813.15	3307.00	2629.00
1.02. संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल युक्त)	0049	21.96	59.02	58.00	58.00
1.03. अन्य ब्याज प्राप्तियां	0049	53211.86	46613.47	34960.92	32165.65
1.03.01. घटाइए व्यय के प्रति घटाई गई प्राप्तियां	0049	-42415.35	-38944.47	-17431.92	-16852.65
<i>निवल-ब्याज प्राप्तियां</i>		<i>17113.41</i>	<i>11541.17</i>	<i>20894.00</i>	<i>18000.00</i>
<b>2. लाभांश और लाभ</b>					
2.01. सरकारी क्षेत्र के उद्यम और अन्य निवेशों से लाभांश	0050	39750.22	50027.81	46000.00	40000.00
2.02. भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लाभांश अधिशेष लाभ	0050	57127.53	53510.61	101353.00	73948.00
<i>जोड़-लाभांश और लाभ</i>		<i>96877.75</i>	<i>103538.42</i>	<i>147353.00</i>	<i>113948.00</i>
<b>जोड़-ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ</b>		<b>113991.16</b>	<b>115079.59</b>	<b>168247.00</b>	<b>131948.00</b>
<b>राजकोषीय सेवाएं</b>					
<b>3. राजकोषीय सेवाएं</b>					
3.01. करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल (सिक्कों के परिचालन से लाभ)	0046	1093.16	616.00	1100.00	1210.00
3.02. अन्य राजकोषीय सेवाएं	0047	75.64	85.90	83.72	86.02
<i>जोड़-राजकोषीय सेवाएं</i>		<i>1168.80</i>	<i>701.90</i>	<i>1183.72</i>	<i>1296.02</i>
<b>जोड़-राजकोषीय सेवाएं सामान्य सेवाएं</b>		<b>1168.80</b>	<b>701.90</b>	<b>1183.72</b>	<b>1296.02</b>
<b>4. सामान्य सेवाएं</b>					
4.01. प्रशासनिक सेवाएं					
4.01.01. लोक सेवा आयोग	0051	88.56	97.50	95.00	97.00
4.01.02. पुलिस	0055	7290.59	9913.75	7745.60	8040.60
4.01.03. पूर्ति और निपटान	0057	...	...	...	...
4.01.04. लेखन सामग्री और मुद्रण	0058	11.73	10.68	10.76	10.72
4.01.05. लोक निर्माण कार्य	0059	327.99	429.33	380.75	440.02
4.01.06. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0070	2518.09	5921.56	3498.95	5850.84
4.01.07. जैल्स	0056	...	...	...	...
<i>जोड़-प्रशासनिक सेवाएं</i>		<i>10236.96</i>	<i>16372.82</i>	<i>11731.06</i>	<i>14439.18</i>
4.02. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां					
4.02.01. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	0071	1293.79	2409.48	1978.25	2305.14
4.02.02. घटाइए प्राप्तियां	0071	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
<i>निवल-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां</i>		<i>1293.79</i>	<i>1409.48</i>	<i>978.25</i>	<i>1305.14</i>
4.03. विविध सामान्य सेवाएं					
4.03.01. विविध सामान्य सेवाएं	0075	18309.98	22841.57	23275.01	24151.85
4.03.02. घटाइए वाणिज्यिक विभाग कैंटीन स्टोर्स विभाग की प्राप्तियां	0075	-15768.89	-19900.00	-19900.00	-20000.00
<i>निवल-विविध सामान्य सेवाएं</i>		<i>2541.09</i>	<i>2941.57</i>	<i>3375.01</i>	<i>4151.85</i>
4.04. रक्षा सेवाएं					
4.04.01. रक्षा सेवाएं-थल सेना	0076	4369.45	4102.78	4308.31	4319.31
4.04.01.01. प्राप्तियां घटाइए	0076	-4369.45	-4102.78	-4308.31	-4319.31
<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
4.04.02. रक्षा सेवाएं-नौसेना	0077	1544.29	700.00	700.00	750.00
4.04.02.01. प्राप्तियां घटाइए	0077	-1544.29	-700.00	-700.00	-750.00
<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>

कर भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट 2021-2022	संशोधित 2021-2022	(₹ करोड़) बजट 2022-2023
4.04.03.	रक्षा सेवाएं वायु सेना	0078	1790.74	1300.00	1300.00	1300.00
4.04.03.01.	प्राप्तियां घटाइए	0078	-1790.74	-1300.00	-1300.00	-1300.00
	<i>निवल</i>		...	...	...	...
4.04.04.	रक्षा सेवाएं आयुध कारखाने	0079	1652.56	2276.40	323.33	0.50
4.04.04.01.	प्राप्तियां घटाइए	0079	-1652.56	-2276.40	-323.33	-0.50
	<i>निवल</i>		...	...	...	...
4.04.05.	रक्षा सेवाएं अनुसंधान और विकास	0080	368.11	300.00	350.00	300.00
4.04.05.01.	प्राप्तियां घटाइए	0080	-368.11	-300.00	-350.00	-300.00
	<i>निवल</i>		...	...	...	...
	<i>निवल-रक्षा सेवाएं</i>		...	...	...	...
	<i>निवल-सामान्य सेवाएं</i>		14071.84	20723.87	16084.32	19896.17
	<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>		<b>14071.84</b>	<b>20723.87</b>	<b>16084.32</b>	<b>19896.17</b>
	<b>सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं</b>					
	<b>5. सामाजिक सेवाएं</b>					
5.01.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0202	58.30	167.50	112.02	192.03
5.02.	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0210	1148.73	1054.46	1183.29	1299.75
5.03.	परिवार कल्याण	0211	6.46	15.06	5.06	6.06
5.04.	आवास	0216	217.64	330.71	324.43	334.94
5.05.	शहरी विकास	0217	...	...	...	...
5.06.	सूचना और प्रचार प्रसार	0220	138.25	44.55	22.38	33.28
5.07.	प्रसारण	0221	1788.52	1164.75	1685.02	1035.02
5.08.	श्रम और रोजगार	0230	43.08	103.56	40.63	40.77
5.09.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0235	0.55	0.49	2.48	2.96
5.10.	अन्य सामाजिक सेवाएं	0250	389.12	...	...	...
5.10.01.	घटाइए-प्राप्तियां	0250	...	...	...	...
5.11.	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	0215	...	...	...	...
	<i>निवल-सामाजिक सेवाएं</i>		3790.65	2881.08	3375.31	2944.81
	<b>जोड़-सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं</b>		<b>3790.65</b>	<b>2881.08</b>	<b>3375.31</b>	<b>2944.81</b>
	<b>आर्थिक सेवाएं</b>					
	<b>6. आर्थिक सेवाएं</b>					
6.01.	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप					
6.01.01.	फसल कार्य	0401	520.78	523.05	515.05	515.06
6.01.02.	पशु पालन	0403	31.87	20.70	17.25	20.70
6.01.03.	डेयरी विकास	0404	378.93	390.20	340.00	370.00
6.01.03.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - दिल्ली दुग्ध योजना	0404	-334.41	-498.00	-340.00	-370.00
	<i>निवल</i>		44.52	-107.80	...	...
6.01.04.	मात्स्यिकी	0405	3.41	2.35	2.20	2.26
6.01.05.	वानिकी एवं वन्य जीवन	0406	53.17	40.45	60.70	60.51
6.01.05.01.	प्राप्तियां घटाइए	0406	...	-5.00	-5.00	-5.00
	<i>निवल</i>		53.17	35.45	55.70	55.51
6.01.06.	खाद्य भंडारण और भांडागार	0408	574.24	660.30	628.20	625.00
6.01.06.01.	प्राप्तियां घटाइए	0408	...	...	...	...
	<i>निवल</i>		574.24	660.30	628.20	625.00
6.01.07.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0415	103.58	...	...	...
6.01.08.	अन्य कृषि कार्यक्रम	0435	23.18	24.08	23.16	23.67
6.01.09.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	0552	9.08	...	...	...
6.01.10.	सहयोग	0425	...	...	...	...
	<i>निवल-कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप</i>		1363.83	1158.13	1241.56	1242.20

कर भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट 2021-2022	संशोधित 2021-2022	बजट 2022-2023
6.02.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण					
6.02.01.	वृहत और मध्यम सिंचाई	0701	9.50	42.00	20.00	20.00
6.02.02.	वृहत सिंचाई	0702	89.60	2.80	160.00	5.00
	जोड़-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		99.10	44.80	180.00	25.00
6.03.	ऊर्जा					
6.03.01.	विद्युत	0801	4317.89	3846.62	4395.10	4081.97
6.03.01.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - ईंधन माल सूची	0801	-2866.96	-2753.55	-2478.67	-2561.72
	निवल		1450.93	1093.07	1916.43	1520.25
6.03.02.	पेट्रोलियम	0802	6662.20	10231.00	13208.95	11889.99
6.03.03.	कोयला और लिग्नाइट	0803	14.53	3197.85	100.00	3200.00
6.03.04.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	0810	0.01	0.06	0.06	0.06
	निवल-ऊर्जा		8127.67	14521.98	15225.44	16610.30
6.04.	उद्योग और खनिज					
6.04.01.	ग्राम और लघु उद्योग	0851	43.40	35.93	42.01	43.02
6.04.02.	उद्योग	0852	1951.67	4064.24	4600.95	4130.14
6.04.02.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - ईंधन फैब्रिकेशन सुविधाएं	0852	-1713.41	-3693.36	-3293.59	-3861.70
6.04.02.03.	सेक्टर में अन्य प्राप्तियां घटाइए	0852	...	...	-996.99	...
	निवल		238.26	370.88	310.37	268.44
6.04.03.	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0853	641.24	471.45	659.40	673.00
6.04.04.	अन्य उद्योग	0875	164.95	200.00	310.00	228.00
6.04.04.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - अफीम और क्षारीय निर्माणियां	0875	-164.95	-200.00	-310.00	-228.00
	निवल		...	...	...	...
	निवल-उद्योग और खनिज		922.90	878.26	1011.78	984.46
6.05.	परिवहन					
6.05.01.	पत्तन और दीपस्तंभ	1051	384.07	340.00	378.00	378.00
6.05.01.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत	1051	-368.95	-340.00	-360.00	-360.00
	निवल		15.12	...	18.00	18.00
6.05.02.	पोत परिवहन	1052	112.38	142.18	159.12	162.03
6.05.03.	नागर विमानन	1053	144.53	75.30	52.85	52.85
6.05.04.	सड़क और पुल	1054	10478.52	23310.00	25310.00	33310.00
6.05.05.	अंतर्देशीय जल परिवहन	1056	29.96	...	...	...
6.05.06.	डाक प्राप्तियां	1201	10632.31	17710.05	13398.34	14725.87
6.05.06.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - डाक	1201	-10632.31	-17710.05	-13398.34	-14725.87
	निवल		...	...	...	...
6.05.08.	सड़क परिवहन	1055	...	...	...	...
	निवल-परिवहन		10780.51	23527.48	25539.97	33542.88
6.06.	संचार					
6.06.01.	अन्य संचार सेवाएं	1275	45500.65	53986.72	71959.24	52806.36
6.07.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण					
6.07.01.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	1401	84.86	84.31	113.33	109.07
6.07.02.	अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	1425	1044.68	1325.58	1904.49	644.69
	जोड़-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण		1129.54	1409.89	2017.82	753.76
6.08.	सामान्य आर्थिक सेवाएं					
6.08.01.	विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं	1453	374.02	357.40	414.78	414.78
6.08.02.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1475	2946.93	4472.00	3408.32	3745.24
6.08.02.02.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	0515	10.98	...	10.00	10.00

कर भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2020-2021	बजट 2021-2022	संशोधित 2021-2022	(₹ करोड़) बजट 2022-2023
जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			2957.91	4472.00	3418.32	3755.24
6.08.03.	पर्यटन	1452	3.92	7.10	16.50	4.20
6.08.04.	नागरिक आपूर्ति	1456	0.01	0.06	0.07	0.08
जोड़-सामान्य आर्थिक सेवाएं			3335.86	4836.56	3849.67	4174.30
निवल-आर्थिक सेवाएं			71260.06	100363.82	121025.48	110139.26
<b>7. रेल राजस्व</b>						
7.01.	भारतीय रेलवे विविध प्राप्ति	1001	213.03	350.00	250.00	400.00
7.01.01.	घटाइए विविध प्राप्ति	1001	-213.03	-350.00	-250.00	-400.00
7.02.	भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनें	1002	138264.02	214753.36	199391.88	237152.87
7.02.01.	घटाइए प्राप्ति	1002	-138264.02	-214753.36	-199391.88	-237152.87
7.03.	भारतीय रेलवे सामरिक लाइनें	1003	2306.50	2356.64	2358.12	2447.13
7.03.01.	घटाइए प्राप्ति	1003	-2306.50	-2356.64	-2358.12	-2447.13
निवल- रेल राजस्व			...	...	...	...
जोड़-आर्थिक सेवाएं			<b>71260.06</b>	<b>100363.82</b>	<b>121025.48</b>	<b>110139.26</b>
<b>सहायता-अनुदान तथा अंशदान</b>						
<b>8. सहायता अनुदान और अंशदान</b>						
8.01.	विदेश अनुदान सहायता					
8.01.01.	बहुपक्षीय					
8.01.01.01.	एशियाई विकास बैंक	1605	2.65	15.00	69.05	25.40
8.01.01.02.	अंतर्राष्ट्रीय कृषि निधि	1605	...	5.00	2.00	1.91
8.01.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	1605	155.66	15.00	182.00	114.20
8.01.01.04.	यूरोपीयन यूनियन	1605	...	...	...	...
जोड़-बहुपक्षीय			158.31	35.00	253.05	141.51
8.01.02.	द्विपक्षीय					
8.01.02.01.	फ्रांस	1605	1.46	9.00	37.00	41.00
8.01.02.02.	जर्मनी	1605	15.11	7.00	95.00	181.00
8.01.02.03.	जापान	1605	...	125.00	71.00	100.00
जोड़-द्विपक्षीय			16.57	141.00	203.00	322.00
8.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय निकाय					
8.01.03.01.	वैश्विक पर्यावरण निधि	1605	805.24	450.00	161.56	152.80
8.01.03.02.	यूएनडीपी	1605	20.90	11.00	7.39	3.69
जोड़-अंतर्राष्ट्रीय निकाय			826.14	461.00	168.95	156.49
जोड़-विदेश अनुदान सहायता			1001.02	637.00	625.00	620.00
8.02.	सहायता सामग्री और उपस्कर	1606	750.62	110.00	719.84	...
जोड़-सहायता अनुदान और अंशदान			1751.64	747.00	1344.84	620.00
जोड़-सहायता-अनुदान तथा अंशदान			<b>1751.64</b>	<b>747.00</b>	<b>1344.84</b>	<b>620.00</b>
<b>संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व</b>						
<b>9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व</b>						
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व		1710	1598.31	2530.64	2530.64	2806.81
कुल जोड़			<b>207632.46</b>	<b>243027.90</b>	<b>313791.31</b>	<b>269651.07</b>

1.1. राज्य : राज्यों को जारी ऋण पर ब्याज प्राप्ति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखितों पर ब्याज शामिल हैं।

(क) योजना-भिन्न स्कीम (बाढ़ नियंत्रण) के अंतर्गत विभिन्न समयावधि के दौरान पश्चिम बंगाल, पंजाब और त्रिपुरा राज्यों को ऋण संवितरण;

(ख) ब्याज के विभिन्न दरों पर वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों की संवितरित पुराने ऋणों को अब समान ब्याज दर पर निर्धारित किया जाएगा;

(ग) 20 वर्षों की परिपक्वता अवधि सहित राज्य योजना स्कीम को सहायता के लिए संवितरित ऋण;

(घ) पुलिस बल को आधुनिकीकरण करने के लिए राज्यों को संवितरित ऋण। इसमें ब्लॉक ऋण, अन्य देशों से प्रत्यर्पितों को पुनर्वास और संसाधन में कमी को पूरा करने के लिए ऋण इत्यादि शामिल है।

- 1.2. **संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) :** संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) को दिए गए ऋण पर व्याज।
- 1.3. **अन्य व्याज प्राप्ति:** "अन्य व्याज प्राप्ति" के अंतर्गत अनुमान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पत्तन न्यास और अन्य संवैधानिक निकाय, सहकारिता, सरकारी कर्मचारी आदि और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर पूंजी परिव्यय के अग्रिम ऋणों पर व्याज के संबंध में हैं।
2. **लाभांश और लाभ:** इस भाग में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, से लाभांश तथा लाभ शामिल हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष भी शामिल हैं जो सरकार को अन्तरित किए जाते हैं।
- 3.2. **अन्य राजकोषीय सेवाएं:** ये प्राप्ति मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय ईएफएफ प्रभार, आईएमएफ से प्राप्त आदि तथा आर्थिक अपराधों के एवज में प्राप्त शास्तियों आदि के अंशदानों से सम्बन्धित हैं।
- 4.01.01. **लोक सेवा आयोग:** "लोक सेवा आयोग" की प्राप्ति मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा शुल्क आदि को प्रदर्शित करती हैं।
- 4.01.02. **पुलिस :** "पुलिस" की प्राप्ति राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षकारों को सप्लाई किए गए केन्द्रीय पुलिस बलों के कारण हैं। इन प्राप्ति में दिल्ली पुलिस की प्राप्ति भी शामिल हैं।
- 4.01.03. **पूर्ति तथा निपटान:** पूर्ति तथा निपटान के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः भण्डारों की खरीद तथा निरीक्षण हेतु शुल्कों, और अधिशेष और बेकार पड़े भण्डारों के पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के जरिए निपटान की बिक्री आय से सम्बन्धित हैं।
- 4.01.04. **स्टेशनरी तथा मुद्रण :** स्टेशनरी तथा मुद्रण के अन्तर्गत प्राप्ति सरकारी मुद्रणालयों की स्टेशनरी, राजपत्र तथा सरकारी प्रकाशनों की बिक्री आदि से सम्बन्धित हैं।
- 4.01.06. **अन्य प्रशासनिक सेवाओं :** अन्य प्रशासनिक सेवाओं शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः लेखा परीक्षा शुल्क, पासपोर्ट एवं वीजा शुल्क आदि से सम्बद्ध हैं।
- 4.03.02. **घटाइए वाणिज्यिक विभाग कैटिन स्टोर्स विभाग की प्राप्ति:** वाणिज्यिक विभाग की प्राप्ति कैटिन स्टोर्स डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रदान की गई रक्षा सेवा से सम्बन्धित हैं जिन्हें व्यय बजट में वाणिज्य विभागों के निवल व्यय के अन्तर्गत दिखाया जाता है।
- 5.01. **शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति:** "शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति" के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः ट्यूशन तथा अन्य शुल्कों एवं संग्रहालयों तथा प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से सम्बन्धित हैं।
- 5.02. **चिकित्सा और जन स्वास्थ्य:** "चिकित्सा" प्राप्ति में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से संबंधित अंशदान और अस्पतालों तथा औषधालयों की प्रदत्त सेवाओं की एवज में रोगियों से वसूल किए गए चार्ज आदि शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राप्ति में सेवा शुल्क, सेरा तथा वेक्सीन की बिक्री की प्राप्ति आदि शामिल हैं।
- 5.03. **परिवार कल्याण:** "परिवार कल्याण" प्राप्ति मुख्यतः सामग्रियों तथा आपूर्ति की बिक्री प्राप्ति से सम्बन्धित हैं।
- 5.04. **आवास:** "आवास" प्राप्ति मुख्यतः सरकारी आवासीय भवनों से सम्बन्धित लाइसेंस शुल्क से सम्बद्ध हैं।
- 5.06. **सूचना और प्रचार प्रसार:** "सूचना तथा प्रचार" प्राप्ति में रोजगार समाचार और अन्य प्रकाशनों, फिल्म प्रभाग निदेशालय तथा संपर्क और संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती डीएवीपी) की प्राप्ति शामिल हैं।
- 5.07. **प्रसारण :** डीटीएच प्रचालकों, वाणिज्यिक सेवाओं (टीवी), वाणिज्यिक सेवाओं (एफएम) से लाइसेंस शुल्क से और अन्य प्राप्ति
- 5.08. **श्रम और रोजगार:** "श्रम और रोजगार" प्राप्ति मुख्यतः श्रम कानूनों, कारखाना और खान अधिनियम आदि के अंतर्गत वसूल किए गए शुल्कों में संबंधित हैं।
- 5.09. **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" प्राप्ति मुख्यतः केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम से सम्बन्धित हैं।
- 6.01. **कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप:** इस उप-क्षेत्र में कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों, बागवानी, पौध संरक्षण सेवाओं, कृषि शिक्षा से शुल्क, कृषि उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण और श्रेणीकरण हेतु शुल्क आदि से प्राप्ति को शामिल किया जाता है। दूसरे देशों और विदेशी संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसी निविष्टियों की बिक्री आय को भी इसकी गणना में लिया जाता है।
- 6.02. **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण:** इस शीर्ष के अधीन अनुमानों में, मुख्यतः केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे की प्राप्ति आती हैं। "लघु सिंचाई" के अधीन अनुमान केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों आदि के लिए किए गए भूमिगत जल की खोज से सम्बन्धित हैं।

**6.03. ऊर्जा:** इस शीर्ष के अधीन "विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" जैसे विभिन्न सेक्शनों से प्राप्त प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।

**6.03.01 विद्युत :** "विद्युत" शीर्ष में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्तियां दर्ज होती हैं।

**6.03.02 पेट्रोलियम :** "पेट्रोलियम" शीर्ष के अधीन अनुमानों में अपतटीय कच्चे तेल और गैस उत्पादन, लाभ पेट्रोलियम पर रॉयल्टी और किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस की अनन्य खोज के अधिकार के लिए लाइसेंस शुल्क से प्राप्तियां शामिल हैं।

- (क) समय-समय पर यथा संशोधित खनिज तेल पर रॉयल्टी ऑयलफील्ड (विनियमन और विकास अधिनियम, 1948) की धारा 6 का और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली 1959 द्वारा विनियमित है। पीएंडएनजी नियमावली 1959 के नियम 14 के अंतर्गत, रॉयल्टी क्रूड ऑयल उत्पादन, कन्डनसेट और प्राकृतिक गैस पर देय है। ऑनलैंड क्षेत्रों से उत्पादन पर रॉयल्टी संबंधित राज्य सरकार और ऑफसौर क्षेत्रों से उत्पादन पर केंद्रीय सरकार के लिए देय है। किसी खनिज तेल के संबंध में रॉयल्टी की दर, जिसमें क्रूड ऑयल शामिल है, ऑयल फील्ड अथवा तेल कूपों जैसा भी मामला हो पर खनिज तेल के बिक्री मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (ख) लाभ पेट्रोलियम: लाभ पेट्रोलियम से अभिप्रेत उत्पादित और पेट्रोलियम की लागत को घटाकर और परिगणित करके किसी विशेष अवधि के दौरान संपर्क क्षेत्रों से बचत तथा संगत करार/संविदा के अनुसार सरकार के साथ साझा किए गए पेट्रोलियम का कुल मूल्य है। कोई लाभ पेट्रोलियम राष्ट्रीय तेल कंपनियों के लिए दिए गए आबंटन ब्लॉकों के लिए देय है।
- (ग) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस शुल्क (पीईएल): (i) पीईएल शुल्क किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस का अनन्य रूप से अन्वेषण करने के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए सरकार के प्रतिफल में किसी लाइसेंस धारी द्वारा भुगतान है। लाइसेंस शुल्क सामान्यतः क्षेत्र और लाइसेंस की अवधि जुड़ी होती है तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली 1959 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार लाइसेंस धारियों द्वारा देय है, (ii) ऑनसौर क्षेत्रों के मामले में पीईएल शुल्क संबंधित राज्य सरकार को तथा ऑफसौर फील्डों के मामले में केंद्रीय सरकार को जाता है।
- (घ) उत्पादन स्तर भुगतान (पीएलपी): पीएलपी से अभिप्रेत कोल बेड भीथेन ब्लॉक में संगत संविदा/करार के अनुसार कतिपय उत्पादन स्तर प्राप्त करने के पश्चात भारत सरकार के लिए दिए जाने वाले भुगतान हैं।

**6.04.01. ग्राम और लघु उद्योग:** ग्रामीण और लघु उद्योग शीर्ष में औद्योगिक सम्पदाओं, लघु, हकथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम उद्योग, विद्युत करघा और अन्य ग्राम उद्योगों से प्राप्तियां दर्ज की जाती है।

**6.04.02. उद्योग:** उद्योग के अधीन प्राप्तियां मुख्यतः परमाणु ऊर्जा उद्योगों और विभिन्न उद्योगों से संग्रहित लाइसेंस शुल्कों से सम्बन्धित हैं।

**6.04.03. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग:** अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग शीर्ष में मुख्यतः भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के मद में प्राप्तियों को समायोजित किया जाता है।

**6.06.01. अन्य संचार सेवाएं:** 'अन्य संचार सेवाएं' के अधीन प्राप्तियां मुख्यतः टेलीकॉम प्रचालकों से लाइसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम प्रयोग प्रभारों के कारण प्राप्तियों से संबंधित है। दूरसंचार विभाग इसके द्वारा लाइसेंस दिए गए विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से आवर्ती लाइसेंस शुल्क एकत्र करता है। लाइसेंस शुल्क पब्लिक स्विचड टेलीकॉम नेटवर्क (पीएसटीएन) प्रभारों, पात्र/हकदार सेवा प्रदाताओं पर डाले गए रोमिंग प्रभाग तथा कंपनी के लेखा परीक्षित खातों में दर्शाए गए उनके कुल राजस्व आंकड़ों से राज्य/केंद्रीय सरकार को पास किए गए बिक्री कर/सेवा कर जैसी अनुमत कटौतियों के पश्चात समायोजित सकल राजस्व (एजीआर के आठ प्रतिशत पर वसूल किया जाता है।

केपटिव उपयोग और केपटिव मोबाइल रेडियो ट्रेकिंग सेवा लाइसेंसों के लिए लाइसेंस दिए गए टेलीकॉम नेटवर्कों के लिए, लाइसेंस शुल्क टर्मिनलों, चैनलों की संख्या तथा/अथवा नेटवर्कों की पूंजीगत लागत पर निर्भर करते हुए नियत दरों पर वसूल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एकवारगी प्रवेश शुल्क भी नए ऑपरेटरों से एकत्र किया जाता है।

सेवाओं की मुख्य श्रेणी में (i) बेसिक सेवा, (ii) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस (iii) यूनिफाइड एक्सेस सर्विस, (iv) यूनिफाइड लाइसेंस, (v) इंटरनेशनल लॉग डिस्टेंस, (vi) नेशनल लॉग डिस्टेंस, (vii) इंटरनेट सेवा प्रदाता, (viii) कामर्शियल सीयूजी वीसेट लाइसेंस, (ix) पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विसेस, (x) केपटिव मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विसेस, (xi) जीएमपीसीएस लाइसेंस, (xii) आईपीएलसी लाइसेंस की पुनर्विक्री।

लाइसेंस शुल्क टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं से समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत हिस्से के आधार पर एकत्र किया जाता है। जिसमें यूनिवर्सल एक्सेसलेवी का एक घटक शामिल है। लाइसेंस शुल्क का संग्रहण लाइसेंस शुल्क, टेरिफ दर और देश में टेलीकॉम सेवा सेक्टर की संवृद्धि पर निर्भर होता है।

यह विभाग वायर लैस उपकरण रखने के लिए लाइसेंस शुल्क और विभिन्न निकायों से रेडियो स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए रॉयल्टी भी एकत्र करता है। सेवा प्रदाताओं से वसूले गए प्रभार स्पेक्ट्रम प्रभार के रूप में सामान्यतः जाने जाते हैं और अपने नेटवर्क (कामर्शियल वीसेट लाइसेंस) के लिए निर्दिष्ट स्पेक्ट्रम की मात्रा पर निर्भर करते हुए अपने समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में अथवा फिलेट दरों पर या किसी फॉर्मूले के आधार पर परिगणित किए जाते हैं।

स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए टेलीकाम सेवा प्रदाताओं (मोबाइल कामर्शियल वीसेट इत्यादि) से विभाग द्वारा वसूले जाते हैं तथा उनके नेटवर्क के लिए निर्दिष्ट मात्रा पर निर्भर करते हुए उनके समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में परिगणित किए जाते हैं।

**6.07.01. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान:** "परमाणु ऊर्जा अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्तियां भाभा परमाणु शोध केन्द्र के विभिन्न प्रभागों/एककों द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा बिक्री से सम्बन्धित हैं।

**6.07.02. अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान:** अन्य वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान की प्राप्तियां मुख्यतः भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय एटलस तथा थीमैटिक मैपिंग संगठन से सम्बन्धित है।

**6.08.01. विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं:** "विदेश व्यापार तथा निर्यात सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियां व्यापार तथा भुगतान समझौते के अन्तर्गत शेष के संबंध में भारत के पक्ष में विदेशी मुद्रा के पुनर्मुल्यांकन पर अर्जित प्राप्तियां हैं।

**6.08.02. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं:** "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियों में मुख्य रूप से ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विनियमन तथा बीमा अधिनियम के तहत वसूली गई फीस शामिल है। इसमें भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग की प्राप्तियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी निकायों को प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्त फीस और जोखिम बीमा निधि सम्बन्धी प्राप्तियां भी शामिल हैं।

**7. रेल राजस्व :** रेल राजस्व प्राप्तियों में (i) विविध प्राप्तियाँ (ii) वाणिज्यिक लाइनें, और (iii) सामरिक लाइनें शामिल हैं। चूंकि यह वाणिज्यिक प्राप्ति है अतः कर-भिन्न राजस्व पर इसका प्रभाव शून्य है।

**9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व :** (विधान मण्डल रहित) संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं, विशेषकर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में इमारती लकड़ी तथा वनोत्पाद की बिक्री, चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम से प्राप्त प्राप्तियां तथा पोत परिवहन पर्यटन तथा विद्युत आदि से प्राप्त प्राप्तियां शामिल हैं।